न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

सत्र परीक्षण संख्या–36/2016

सरकार बनाम रामदत्त दीक्षित आदि

दिनांक 31–08–2018

पुकार कराई गई। अभियुक्त रामदत्त दीक्षित उपस्थित। शेष अभियुक्तगण की आज के लिए हाजिरी माफी स्वीकृत। अभियुक्त राम आसरे की ओर से प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–42 ब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि– 'प्रार्थी को उपरोक्त वाद में धारा–319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा तलब किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने दाण्डिक पुनरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ में दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई हेतु 28–09–2018 की तिथि नियत है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ताफैसला दाण्डिक पुनरीक्षण, प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही स्थगित करने की कृपा की जाए'।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त राम आसरे को दिनांक 20–03–2018 को धारा–319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिए गए प्रार्थना–पत्र के आधार पर समन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके पूर्व भी दिनांक 09–05–2018 व 06–06–2018 को इसी आधार पर मुकदमें में कार्यवाही स्थगित किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो खारिज किया जा चुका है। दिनांक 06–06–2018 को पारित आदेश में यह उल्लिखित है कि– 'दिनांक 09–05–2018 को भी इसी आशय का प्रार्थना–पत्र उन्हीं तथ्यों का वर्णन करते हुए कार्यवाही रोके जाने हेतु दिया गया था, जिसे निरस्त किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमें को जान–बूझकर लम्बित किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिए जा रहे हैं'।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा जान–बूझकर मुकदमें की कार्यवाही को विलम्बित किया जा रहा है और एक ही आधार पर यह तीसरा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त को इस मामले की पूरी जानकारी है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थना–पत्र 42 ब खारिज किया जाता है। अभियुक्त राम आसरे के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया जाए। पत्रावली दिनांक 26–09–2018 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

(दिग्विजय नाथ)

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश

दिनांक 31–08–2018 हरदोई।